

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

दिनांक - 05.02.2025

क्रमांक/भू.अ./2025/ 85

अनवान :-

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
जमी	बनाम	एलियास वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 97/2024

दिनांक : 05.02.2025

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र बामणोर के मौजा ठठर का डेर के खेत खसरा सं. 342/138 रकबा 25.15 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है ।
प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2025/ 86-89

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी जमी वगैरा
3. विप्रार्थीगण एलियास वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
दिनांक -
05.02.2025

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन